

छत्तीसगढ़ शासन  
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
मंत्रालय,

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ-५-२३/२०२०/१०-२

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक २३/०१/२०२१

प्रति,

**प्रधान मुख्य वन संरक्षक**

छ.ग. अरण्य भवन,  
सेक्टर-१९, नार्थ ब्लॉक,  
नवा रायपुर, अटल नगर।

**विषय:-** आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर द्वारा मुंगेली जिले के मुंगेली वनमंडल अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल ०.०६३ हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, १९८० के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

**संदर्भ:-** १. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक १६.१०.२००० तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक ०८.०४.२००९।

२. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र. /F No.-5-3/2007-FC दिनांक ०५.०२.२००९ तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक १५.०६.२००४।

३. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र. /भू-प्रबंध/विविध/११५-८२८/१६५०, रायपुर दिनांक ०७.०९.२०२० तथा पत्र क्र. /भू-प्रबंध/विविध/११५-८२८/२३०१, रायपुर दिनांक १७.१२.२०२०।

----००----

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसमें प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्रदाय कर ने की अनुशंसा की गई है।

आपके प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक १६.१०.२०००, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक ०८.०४.२००९, पत्र क्र. /F No.-5-3/2007-FC दिनांक ०५.०२.२००९ एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक १५.०६.२००४ में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :-

**तालिका**

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	मुंगेली	मुंगेली	खुरिया	दोंगिगढ़	आरक्षित वन	490	392.701	0.5	0.020
आरक्षित वन भूमि का योग							392.701	0.5	0.020
क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	मुंगेली	मुंगेली	खुरिया	चचेदी	संरक्षित वन	1522	88.851	0.5	0.004
संरक्षित वन भूमि का योग							88.851	0.5	0.004
क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	मुंगेली	मुंगेली	लोरमी	नवागांव दयाली	बड़े झाड़ का जंगल	70/1	787.313	0.5	0.039
राजस्व वन भूमि का योग							787.313	0.5	0.039
कुल योग							1268.865 (1.268 K.M.)	0.5	0.063

उक्त 1.268 कि.मी. लंबे तथा 0.50 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 0.063 है. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 0.020 है., संरक्षित वन भूमि 0.004 है. एवं राजस्व वन भूमि 0.039 है.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :-

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
2. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।
3. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे ।
4. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी । वन्यप्राणी तथा बायोडायर्सिटी को नुकसान न पहुंचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किये मजदूरों के द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्च पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा ।
5. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके ।
6. उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी ।
7. आवेदक संरक्षान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चों को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा ।
8. आवेदक संरक्षान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा ।
9. आवेदक संरक्षान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा ।
10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।
11. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा ।
12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे ।
13. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संरक्षान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को निवेदन करेंगे ।

14. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।
15. वनमंडलाधिकारी से प्राप्त कर संशोधित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र-3) जिसके बिंदु क्र. 3 में आवेदित वन भूमि का रकबा 0.063 है. उल्लेखित हो प्रथम चरण अनुमति के पालन प्रतिवेदन के साथ औपचारिक अनुमति के पूर्व अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) द्वारा अनिवार्यतः प्रेषित किया जायेगा।
16. प्रकरण में कलेक्टर का वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत संशोधित प्रमाण पत्र जिसमें आवेदित रकबा 0.063 है. उल्लेखित हो प्रथम चरण अनुमति के पालन प्रतिवेदन के साथ औपचारिक अनुमति के पूर्व अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) द्वारा अनिवार्यतः प्रेषित किया जायेगा।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) से उपरोक्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन इस विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम  
से तथा आदेशानुसार,

२२.१.२१

(के.पी.राजपूत)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक २३ / ०१ / २०२१

पृष्ठां क्रमांक / एफ-5-23 / 2020 / 10-2  
प्रतिलिपि :-

- 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्र), भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 2.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।
- 3.मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर छत्तीसगढ़।
- 4.वनमंडलाधिकारी, मुंगेली वनमंडल छत्तीसगढ़।
- 5.आवेदनकर्ता, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

२२.१.२१

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

२१८